



2026:AHC:27614

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3174/2026

चंद्रमती

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

विजय कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

कोर्ट नंबर- 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. प्रारंभ में ही, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक को मुकदमे में बरी कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान जमानत याचिका निष्फल हो गई है।
2. राज्य की ओर से उपस्थित सरकारी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान जमानत याचिका निष्फल होने के कारण खारिज की जाती है।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

9 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"